



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 22.08.26

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 292/26 धारा 305(ए) बीएनएस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए कुल 34,500 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.08.26 को थाना खेकड़ा पर वादी अयान खान पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला बाग करुबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मेडिकल स्टोर की दुकान के गल्ले से करीब 33,000/- रु0 चोरी कर लेना। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 292/26 धारा 305(a) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस

द्वारा थाना खेकड़ा के मु0अ0सं0 292/26 धारा 305(a) बीएनएस-2023 चोरी का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए कुल 34,500 रुपये व 01 लिफाफा हैल्थ मैडिकल स्टोर व 01 आधार कार्ड की फोटो कॉपी अयान बरामद हुयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस-2023 की बढोत्तरी की गई। थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र डालचन्द उर्फ लालचन्द निवासी काशीराम कॉलोनी नानू रोड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास आकाश उपरोक्त

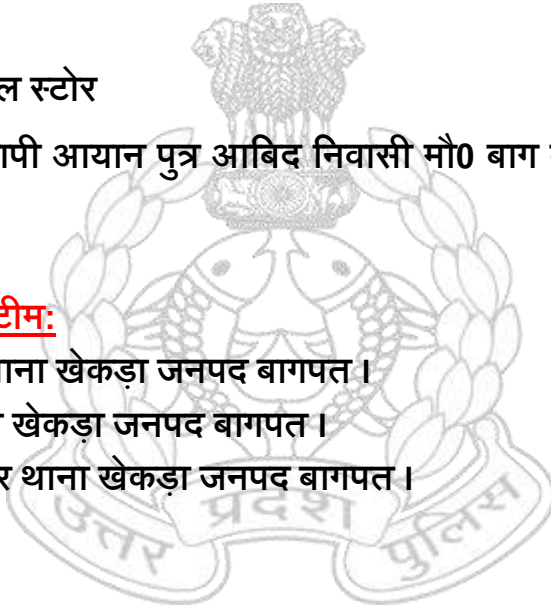
1. मु0अ0सं0 0184/18 धारा 4 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना खेकड़ा बागपत
2. मु0अ0सं0 421/23 धारा 379/411/427 भादवि थाना खेकड़ा बागपत
3. मु0अ0सं0 106/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा बागपत
4. मु0अ0सं0 142/25 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा बागपत
5. मु0अ0सं0 37/26 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा बागपत
6. मु0अ0सं0 292/26 धारा 305(ए)/ 317(2)/331(4) बीएनएस, थाना खेकड़ा बागपत

बरामदगी का विवरण-

- कुल 34,500 रुपये
- 01 लिफाफा हेल्थ मैडिकल स्टोर
- 01 आधार कार्ड फोटो कापी आयान पुत्र आबिद निवासी मौ0 बाग कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-रि0का0 185 आशीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दो गाडी आयशर कैंटर जिनमे क्रूरतापूर्वक भरे हुये कुल 26 पशु बरामद ।

कार्यवाही--

जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो गाडी आयशर कैंटर जिनमे क्रूरतापूर्वक भरे हुये कुल 26 पशु बरामद हुये हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-इलियास पुत्र फैयाज निवासी पुराना कस्बा कैतीपुरा थाना बागपत जनपद बागपत उम्र 42 वर्ष
- 2-साहिब पुत्र इदरीश नि0 पुराना कस्बा कैतीपुरा थाना बागपत जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष
- 3-आजाद पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम बडौदा थाना उचयाना जनपद हरियाणा उम्र 30 वर्ष
- 4-सोहन पुत्र रामकुमार निवासी खेडीचोटा थाना नारनौद जनपद हरियाणा उम्र 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुये 26 पशु ।
- आयशर केन्टर रजि0नं0- UP11DT4412
- आयशर केन्टर रजि0नं0- HR56B9886

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है०का० 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- है०का० 894 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-का० 1042 अवनीश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 6-का० 587 मनमोहन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 22.08.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 171/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई गन्ना जूस कोल्हू मशीन व एक ट्रैक्टर आयशर बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21.08.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री गौरव कुमार पुत्र बिलेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी का गन्ने का कोल्हू चोरी कर लेना । तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 171/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



नोट:- मु०अ०सं० 171/26 धारा 303(2) बीएनएस में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 171/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई गन्ना जूस कोल्हू मशीन व एक ट्रैक्टर आयशर बरामद हुआ है, इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र रामकुमार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामद सम्पत्ति का विवरण:-

- 01 गन्ना जूस कोल्हू मशीन
- 01 ट्रैक्टर आयशर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1-उ0नि0 सन्नवर अली थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-रि0का0 602 वेदांत थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-हो0गा0 599 लोकेश थाना रमाला जनपद बागपत।

